

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 73 / 14

संस्थापन दिनांक:-07 / 02 / 14

फाईलिंग नं. 233504001572014

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

1. सददू पिता पांडू  
उम्र 28 वर्ष, निवासी मुझगुहान,  
थाना झल्लार, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. अनिल पिता बिसन  
उम्र 28 वर्ष, निवासी नायक चारसी,  
थाना बैतूल बाजार, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 14.12.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध पशु कूरता अधिनियम की धारा 11(घ), म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 तथा म.प्र. कृषि पशु परिसंरक्षण अधिनियम की धारा 6/11 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 27.01.2014 को रात्रि करीब 10 बजे थाना आमला से 15 किमी. पश्चिम में ग्राम पंखा स्थित बेल मुंडारा तालाब के पास 6 बैलों को एक दूसरे से जकड़कर, बांधकर एवं मारते हुए ले जाते हुए उन्हें अनावश्यक पीड़ा व यातना कारित की एवं उक्त बैल जो कि गौवंश है, उनके वध के प्रयोजन से म.प्र. राज्य से महाराष्ट्र राज्य की ओर होकर परिवहन किया तथा 06 बैल जो कि कृषि पशु हैं को म.प्र. पशु संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उनके वध के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य से महाराष्ट्र राज्य की ओर हांक कर परिवहन किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि थाना आमला में दिनांक 27.01.2014 को देहाती नालसी क. 0/14 इस आशय की दर्ज की गयी कि उप निरीक्षक प्रशांत शर्मा को दिनांक 27.01.2014 को रात्रि करीब 10 बजे जरिये टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि आमला पंखा नेशनल हाईवे एनएच-69 से कुछ

लोग मवेशियों को एक दूसरे के साथ गाथा लगाकर जकड़कर बांधकर मारते पीटते बेरहमी से हांकते हुए कत्लखाने ले जाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र तरफ ले जा रहे हैं। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां दो व्यक्ति तीन-तीन बैल को एक दूसरे से जकड़कर बांधकर बेरहमी से मारते पीटते हांकते हुए कत्लखाना महाराष्ट्र तरफ ले जाते रंगे हाथ पकड़ा। उक्त व्यक्तियों ने अपना नाम सद्दू एवं अनिल बताया। मौके पर अभियुक्तगण से गौवंश जप्त किये गये तथा उन्हें गिरफ्तार किया गया। उक्त देहाती नालसी के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध असल अपराध क्र. 81/14 दर्ज कर विवेचना में लिया गया। जप्तशुदा मवेशियों का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर 06 नग बैलों को एक दूसरे से जकड़कर, बांधकर एवं उन्हें मारते पीटते ले जाते हुए उन्हें अनावश्यक पीड़ा व यातना कारित की ?
2. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर उक्त 06 बैल जो कि गौवंश है, उनके वध के प्रयोजन से म.प्र. राज्य से महाराष्ट्र राज्य की ओर होकर परिवहन किया ?
3. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर 06 बैल जो कि कृषि पशु हैं को म.प्र. पशु संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उनके वध के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य से महाराष्ट्र राज्य की ओर हांक कर परिवहन किया। ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

**विचारणीय प्रश्न क्र. 01, 02 एवं 03 का निराकरण**

5 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से

संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 27.01.2014 को थाना आमला में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को टैलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि आमला-पंखा नेशनल हाईवे पर कुछ लोग मवेशियों को एक दूसरे के साथ बांधकर मारते पीटते बेरहमी से हांकते हुए ले जा रहे हैं। यह सूचना रोजनामचा सान्हा 1456 पर दर्ज की गई थी। सूचना की तस्दीक हेतु जब वह मौके पर पहुंचा तो अभियुक्त सददू और अनिल 3-3 बैलों को एक दूसरे से जकड़कर मारते, पीटते हांकते हुए ले जा रहे थे। अभियुक्त अनिल और सददू से उसके द्वारा 3-3 बछड़े जप्त किए गए, जप्ती पत्रक तैयार किया गया और गिरफ्तार करने के उपरांत जानवरों को मेडिकल हेतु भेज दिया गया। थाना वापस आकर वापसी रोजनामचा लेख किया गए एवं अपराध क्रमांक 81/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई।

7 हरिप्रसाद (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया कि वह थाना आमला में नगरसैनिक के पद पर पदस्थ था। उपनिरीक्ष प्रशांत शर्मा को सूचना मिलने पर वह उनके साथ मौके पर गया था। जहां पर उसने देखा कि दो व्यक्ति जानवर लेकर जा रहे हैं जो एक दूसरे से बंधे हुए थे। अभियुक्तगण से प्रशांत शर्मा जानवर जप्त किए और गिरफ्तार किया था।

8 डॉ. डी.के. साहू (अ.सा.-5) का कहना है कि वह दिनांक 28.01.20014 को आमला में पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को 6 बैलों का परीक्षण किए जाने पर सभी बैल कृषि कार्य हेतु उपयोगी पाए गए थे। साक्षी ने आगे यह बताया कि उसके द्वारा तैयार बैलों की मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-10) है, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं।

9 बचाव अधिवक्ता को तर्क है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा पुलिस साक्षियों के कथनों में भी विरोधाभास है। अतः अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए, जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

10 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी देवेन्द्र उर्फ छोटू (अ.सा.-1) एवं यादोराव (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया कि उनके सामने कोई घटना नहीं हुई थी लेकिन जप्ती प्रपत्रों एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों पर उनके हस्ताक्षर हैं। उपर्युक्त साक्षीगण से प्रति परीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न

पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किए हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी देवेन्द्र ने यह बताया कि वह पहले थाने की गाड़ी चलाता था, पुलिस ने थाने पर उसके हस्ताक्षर लिए थे, किस बात के हस्ताक्षर लिए थे उसे यह जानकारी नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

11. अभिलेख पर साक्षी प्रशांत शर्मा (अ.सा.-3) एवं हरिप्रसाद (अ.सा.-2) के साक्ष्य उपलब्ध हैं। साक्षी प्रशांत शर्मा एवं हरिप्रसाद मुख्य परीक्षण में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचना एवं अभियुक्तगण को जानवर जकडकर लेजाते हुए देखा जाना बताया है एवं साक्षी प्रशांत शर्मा (अ.सा.-3) ने अभियुक्तगण के द्वारा जानवरों को बेरहमी से मारते पीटते, हांकते हुए कत्लखाने महाराष्ट्र की ओर ले जाना एवं अभियुक्तगण से जानवरों की जप्ती एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी करना बताया है। प्रति परीक्षण में प्रशांत शर्मा (अ.सा.-3) ने यह बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे तब उन्हें मोके पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो यह बताए कि अभियुक्तगण जानवरों को मारते पीटते बेरहमी से ले जा रहे थे। इस सुझाव को सही बताया कि अभिलेख पर खानगी सान्हा नहीं लगा है। जब वह मौके पर पहुंचा तब नेशनल हाईवे पंखा पर वाहनों की कोई आवाजाही नहीं मिली। इस सुझाव को सही बताया कि चिकित्सक ने जानवरों की जो मेडिकल रिपोर्ट उसे दी थी, उसमें जानवरों के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थी। स्वतः कहा कि इस संबंध में चिकित्सक बता पायेंगे। इस सुझाव को सही बताया कि जप्तशुदा पशु कहां से खरीद कर लाए थे। इस सुझाव को भी सही बताया कि मौके पर आसपास के किसी साक्षी के कथन नहीं लिए थे। हरिप्रसाद (अ.सा.-2) ने प्रति परीक्षण में यह बताया कि उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, समस्त कार्यवाही प्रशांत शर्मा ने की थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण ने मौके पर अपना नाम बताया था या थाने में लाने के बाद बताया था।

12. अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि अभियुक्त जानवरों को वध करने के प्रयोजन से महाराष्ट्र की ओर ले जा रहा था। साथ ही अभिलेख पर ऐसी भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण जानवरों को मारपीटकर हांक रहे थे, क्योंकि स्वयं पुलिस साक्षी हरिप्रसाद ने इस संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं। साथ ही साक्षी प्रशांत शर्मा के कथनों में इस संबंध में पर्याप्त विरोधाभास है। जप्तशुदा बैलों की जो चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें भी सभी बैल हष्टपुष्ट एवं कृषि कार्य के लिए उपयोगी थे तथा उनके शरीर पर कोई चोट भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में जानवरों का वध किये जाने हेतु ले जाया जाना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। साथ ही कोई स्पष्ट साक्ष्य भी इस संबंध में अभिलेख में नहीं है। उपर्युक्त

परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

### **विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण**

13. उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश 6 बैलों को इस रीति से परिवहन किया वे अनावश्यक पीड़ा व यातना के वशीभूत हुए एवं उक्त पशुओं को वध के प्रयोजन के लिए या वध किए जाने की संभावना को जानते हुए उनका परिवहन किया अथवा करने दिया अथवा कराया अथवा अपने पास रखा तथा उक्त पशुओं को बुरी तरह से फांसा लगाकर बेरहमी से मारते पीटते हुए वध किए जाने हेतु ले जाकर परिवहन किया। फलतः अभियुक्तगण को पशु कूरता अधिनियम की धारा 11(घ), म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 तथा म.प्र. कृषि पशु परिसंरक्षण अधिनियम की धारा 6/11 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14. अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से जप्तशुदा जानवरों के संबंध में कोई दावा नहीं किया गया है। प्रकरण में जप्तशुदा 06 नग बैल गौवंश गौतम गौशाला झाडेगांव, पोस्ट टिमनी जिला बैतूल की अभिरक्षा में है। अतः उनकी अभिरक्षा में जानवर रखे जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार गौवंश का निराकरण किया जावे।

16. अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)